न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः– श्री मासिंगा राम, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या :– 5/2025

प्रार्थीया	बनाम	अप्रार्थी
1. सीतादेवी पत्नी मालाराम जाति मेघवाल निवासी बगड़ी नगर तह0 सोजत जिला पाली राज0।		1. तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः–

1. श्री मुकेश भाटी अधिवक्ता प्रार्थीया उपस्थित।
2. तहसीलदार सोजत स्वयं उपस्थित।

दिनांक :– 06/11/2025

–: निर्णय :–

अधिवक्ता मय प्रार्थीगण ने राजस्व प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा ग्राम गुड़ा कलां पटवार हल्का गुड़ा कलां, भू0अ0नि0 क्षेत्र गुड़ा कलां तहसील सोजत के सिवायचक खसरा नम्बर 729 रकबा 5.1000 है0 किस्म गै0मु0 मगरा की कृषि भूमि में से आवागमन हेतु 30 फुट चौड़ा रास्ता प्रार्थी की खातेदारी खसरा नंबर 723 रकबा 0.1100 है0, खसरा नंबर 724 रकबा 1.2000 है0 में पहुंचने का प्राप्त करने का कानूनी अधिकारी हैं। प्रार्थी के अपनी भूमि पर आवागमन हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं हैं। प्रार्थी नियमानुसार रास्ते की राशि जमा करवाने हेतु तैयार है। इस प्रकार अधिवक्ता मय प्रार्थी ने राजस्व प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राज0 काश्त0 अधि0 मय शपथ–पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर प्रा0 पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आने जाने के लिये उक्त कदीमी रास्ता जो सरहद मौजा गुड़ा कलां के खसरा नंबर 729 कृषि भूमि में से 30 फुट चौड़ा रास्ता दिलवाये जाने तथा राजस्व नक्शे में तरमीम किये जाने की ईशतदुआ की हैं।

इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिसेज वास्ते जबाब प्रा0 पत्र तलब किया गया। पर्याप्त अवसर के बावजूद जवाब प्रा0पत्र पेश नहीं करने से अवसर समाप्त कर जवाब प्रा0पत्र बंद किया गया।

तहसीलदार सोजत से प्रार्थित रास्ते के सम्बन्ध में वांछित तीनो बिन्दु यथा उपलब्ध वैकल्पिक/निकटतम रास्ता, सुविधा जनक उपयोग हेतु आवेदन, अत्यांतिक आवश्यकता है अथवा नहीं से सम्बद्ध बरूवे मौका रूबरू उभय पक्षकारान मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा चाही गई। तहसीलदार, सोजत ने अपने पत्रांक/रीडर/2025/1506 दिनांक 28.10.2025 के जरिए प्रस्तुत मौके की वस्तुस्थिति मय नजरी नक्शा सा0मि0 की गई। **तहसीलदार सोजत द्वारा सम्बन्धित पटवारी, भू0अभि0निरी0 गुड़ा कलां द्वारा तैयार फर्द मौका रूबरू प्रार्थी पक्षकार एवं मौतबिरान तैयार मय नजरी नक्शा रिपोर्ट में अंकित किया कि**

ग्राम गुड़ा कलां के ख0नं0 723 व 724 में आने जानें हेतु राजस्व रेकर्ड में रास्ता नहीं है, पर खसरा सं0 729 में से होकर मौके पर रास्ता चल रहा हैं। खसरा संख्या 723 व 724 के खातेदार इस खसरे में आने जाने हेतु खसरा नंबर 729 में से होकर आते जाते है, जहां रास्ता चालू हैं। ए से बी लाल स्याही से दर्शित प्रस्तावित रास्ते की सबसे निकटतम दूरी हैं। मौके पर किसी प्रकार का विवाद नहीं है व न्यायालय में स्थगन नहीं हैं। ए से बी प्रस्तावित रास्ते की लम्बाई 145 मीटर, ए से बी प्रस्तावित रास्ते की चौड़ाई 9.14 मीटर, रास्ते का कुल रकबा 1325 वर्ग मीटर हैं। जिसकी वर्तमान डी0एल0सी0 कीमत 350000/– रूपये प्रति हैक्टर है। तहसीलदार, सोजत भू0अ0 निरीक्षक वृत गुड़ा कलां की मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा लाल स्याही से दर्शित संलग्न पत्रावली किया गया।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं अप्रार्थी सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि ख0नं0 723, 724 में आने जाने के लिये उक्त कदीमी रास्ता जो सरहद मौजा गुड़ा कलां के खसरा नंबर 729 कृषि भूमि में से 30 फुट चौड़ा रास्ता दिलवाये जाने तथा राजस्व नक्शे में तरमीम किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। जवाब बहस में अप्रार्थी तहसीलदार सोजत द्वारा विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया हैं।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बहस उभयपक्षों को सुना तथा राजस्व रेकर्ड मय मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा का गहनता से अध्ययन किया। यहा सन्दर्भ कानून राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) का उल्लेख करना आवश्यक है। जिसके अनुसार ''1. यह आवश्यकता आत्यांतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिये नहीं है और 2. अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुँचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है,।'' चूंकि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी की खातेदारी जोत में पहूँच हेतु राजस्व रेकर्ड में कोई रास्ता दर्ज नहीं हैं। तहसीलदार, सोजत भू0अ0निरी0 गुड़ा कलां, पटवारी हल्का की रिपोर्टानुसार प्रार्थी की खातेदारी भूमि ख0नं0 723, 724 में पंहुच हेतु निकटतम रास्ता ए से बी सिवायचक खसरा नं0 729 किस्म गै0मु0 मगरा से होकर ख0नं0 757 किस्म गै0मु0 सेरिया तक जाता हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी न्यायालय के समक्ष Clean Hand से उपस्थित हुए है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सन्दर्भ कानून राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के Mandatory Provision को पूर्ण करने तथा स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाना तथा उक्तानुसार देय प्रतिकर की दोगुणा भूमि रास्ता प्रयोजनार्थ दिलवाया जाना उचित समझते है।

–: **आदेश** :–

अतः उपरोक्त विवेचना/विश्लेषणानुसार अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट 1955 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया

जाता है। सरहद मौजा ग्राम गुडा कलां पटवार हल्का गुडा कलां, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गुडा कलां तहसील सोजत के वर्तमान खसरा नम्बर 729 रकबा 5.1000 है0 कृषि भूमि में से आवागमन हेतु रास्ता प्रार्थी की खातेदारी खसरा नंबर 723 रकबा 0.1100 है0, खसरा नंबर 724 रकबा 1.2000 है0 में पंहुचने हेतु सम्बद्ध खातेदारानों के नाम के आगे अंकित कृषि भूमि में से (350000/– रू0 × 2 × 0.1325 है0 = 92750/– रूपये उनके नाम के सामने अंकित भूमि प्रतिकर देय राशि का भुगतान निम्नांकित रूप से उनके हिस्सेनुसार तहसीलदार, सोजत द्वारा (डी0एल0सी0 की दर से दो गुणा प्रतिकर राशि) करवाये जाने पर उपलब्ध किये जाने के आदेश दिये जाते है :–

क0सं0	ख0नं0 व किस्म	कुल रकबा (है0) में	खातेदारो/काश्तकारो के नाम मय वल्दियत कौमियत व सकूनत	रास्ते की भूमि का रकबा है0 में	प्रतिकर की राशि रूपये में (डीएलसी की दौगुना)
01.	729 गै0मु0 मगरा	5.1000 है0	राज0 सरकार	145 मी0× 9.14 मी0 = 0.1325 है0	92750/–रू

उक्त रास्ते का उपयोग सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रहेगा। तहसीलदार, सोजत स्तर पर उक्त आदेश की पालना अर्थात प्रतिकर भुगतान की कार्यवाही सम्पादित की जावें। निर्णय की प्रति व मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा को निर्णय का एक भाग माना जाये एवं इनकी प्रति तहसीलदार, सोजत को भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(मासिंगा राम)
सहायक कलक्टर, सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 06/11/2025 को सरे इजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(मासिंगा राम)
सहायक कलक्टर, सोजत